

# 125 वाँ राष्ट्रीय मेला दशहरा 2018

नगर निगम कोटा (राज0)

प्रदर्शनी/फूड कोर्ट/झूला बाजार/सोपटी/खिलौना/जनरल/अन्य बाजार

आवेदन पत्र :- फेज-1/फेज-2

(पूर्व आवंटी/नये आवेदक के लिए)

आवेदक का नवीनतम  
पासपोर्ट साइज फोटो

सेवा में,

श्रीमान मेला अधिकारी महोदय,  
नगर निगम कोटा

1. आवेदक का नाम.....पिता/पति का नाम.....आयु.....
2. स्थाई पता.....मो0 नं0.....
3. पूर्व व्यवसाय का विवरण.....दुकान/बाजार का नाम.....(सूची संलग्न)
4. दुकान का नाम..... (सूची संलग्न)
5. दुकान का नम्बर.....
6. आवेदन शुल्क राशि 200/- का डी0डी0/पोस्टल ऑर्डर नं0/रसीद नं.....बैंक का नाम/डाकघर का नाम.....
7. अमानत राशि का 10 प्रतिशत का डी0डी0/पोस्टल ऑर्डर नं0/रसीद नं.....बैंक का नाम/डाकघर का नाम.....

आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज :-

1. पहचान पत्र/आधार कार्ड की प्रति
2. वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक 4 वर्ष की मूल रसीदों की प्रतियां पूर्व आवंटियों को संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं राष्ट्रीय मेला दशहरा-2018 में मेला अवधि के लिये दुकान लगाना चाहता/चाहती हूँ। कृपया निर्धारित शुल्क लेकर प्रदर्शनी/फूड कोर्ट/झूला बाजार/सोपटी/खिलौना/जनरल/अन्य बाजार में फीस लाइसेंस पर दुकान/भूमि का आवंटन करने की आज्ञा प्रदान करें।

दिनांक.....

हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका

नाम.....

वर्तमान पता.....

मो0नं0.....

—:: शर्तें ::—

1. पूर्व आवंटी की मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को दुकान आवंटित की जावेगी। जिसके लिए पूर्व आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड तथा वारिसों के सहमति पत्र भी शामिल होंगे जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. पूर्व आवंटी अपने पूर्व के व्यवसाय/बाजार के लिए ही आवेदन करेगा। अन्य व्यवसाय के लिए किया गया आवेदन नये आवेदन के रूप में माना जावेगा।
3. आरक्षित दर से कम दर मान्य नहीं होगी। पूर्व आवंटी से एक साथ सम्पूर्ण राशि जमा होगी।
4. कॉर्नर पक्की दुकान की 25 प्रतिशत राशि तथा कच्ची दुकानों हेतु 15 प्रतिशत राशि अधिक वसूलनीय है तथा GST, फायर एनओसी शुल्क एवं सफाई शुल्क/कचरा पात्र नियमानुसार वसूली होगी।
5. मैंने उक्त शर्तों को पढ़ व समझ लिया है। मैं समस्त शर्तों से सहमत हूँ।

हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका